SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Sir, I am glad that the Minister has announced today that they are examining Silchar as the probable site for setting up the processing plant. May I know from the hon. Minister as to how long will it take to finalise the proposal and what is the expected date when the fruit processing plant will be set up?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I would like to clarify one thing that the Government of India as such is not considering the project just now. It is being discussed between the NAFED and the G.D.R. It is very difficult to say precisely when an agreement will be arrived at specially when a foreign Government is involved.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Sir, I would Tike to know from the Government whether they have made any survey of the types of fruits that are available for processing in different parts of the country. This is one. Secondly, what is our domestic consumption in general and what is the quantity that we are going to export? Otherwise, we will just be beating about the bush. We do not know what is the amount of fruit available with us, what is the domestic market and how much we are going to send abroad and in what form, So, I would like to know whether the statistics are available with the Government.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I do not have the statistics just now. But I can say, generally speaking, India is very richly endowed as far as fruits and their varieties are concerned. Perhaps there is no other country in the world which can compare with us in the richness and the variety of fruits that we produce. Our difficulty is not lack of production. We need not go in for those detailed surveys. All that is required is how to market our fruits to the best advantage of the producers.

SHRI B. N. BANERJEE: Does the hon. Minister of State want the House to accept that the Government of India is not in any way involved in this negotiation? Can the NAFED get into any transaction with the GDR authorities without the Government of India coming into the picture at all?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Generally speaking, the Government of India approves such negotiations, but the details are being worked out by the NAFED and the GDR.

Minister's foreign travel without valid travel documents

*452. SHRI PRAKASH MEHROTRA:†

> SHRI RISHI KUMAR MISHRA:

SHRI SITARAM KESRI:

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH:

SHRI DHARAMCHAND JAIN:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

- (a) whether Government's attention has been drawn to a news report which appeared in the 'Indian Express' of the 26th August, 1977 regarding foreign travel by Shri Brij Lal Varma, Minister of Communications without valid travel documents;
- (b) if so, what are the details in this regard;
- (c) whether it is a fact that the Minister was quarantined on his return from Surinam on the 24th August, 1977;
- (d) whether Government have made any inquiry in the matter; and
- (e) if not, what are the reasons therefor?

[†]The question was actually asked on the floor of the House by Shri Prakash Mehrotra.

8

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

- (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
 - (ग) जी, हां।
 - (घ) ब्रारोपों की जांच की गई है।
 - (ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

25 ग्रगस्त, 1977 को श्री के॰ ग्रार॰ वधवानी द्वारा नई दिल्ली मे लिखित ग्रौर 26 ग्रगस्त, 1977 को 'इन्डियन एक्सप्रैंस' में प्रकाशित समाचार में विभिन्न बातें उठाई गई थीं। इस सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार हैं:——

1. केन्द्रीय संचार मंत्री श्री बुजलाल वर्मा तथा उनके कार्यालय के दो कर्मचारी सर्वश्री ए० के० गुप्त तथा टी० एस० सुत्रमणियन 14 ग्रगस्त, 1977 को भारत से स्रीनाम, दक्षिण अमरीका को रवाना हए। वे लन्दन होते हुए 24 ग्रगस्त, 1977 को एयर-इण्डिया की फ्लाइट संख्या ए० प्राई०-102 से भारत वापिस आये : उनका कार्यक्रम एयर-इण्डिया ूर्फ्लाइट संख्या 505 से ग्रागे नई दिल्ली पहुंचने का था, लेकिन क्योंकि उनका विमान वम्बई देर से पहुंचा ग्रौर ए०ग्राई०-505 उड़ान भर चुका था, इसलिए उन्हें नई दिल्ली ले जाने के लिए ग्राई०ए०सी० फ्लाइट संख्या ग्राई०सी०-185 निश्चित कर दी गई। बम्बई पहुंचने पर यह पता चला कि उनके पास पीत ज्वर के टीके का प्रमाण-पत नहीं है, जो सुरीनाम से म्राने वाले यातियों के लिए आवश्यक होता है। अतः भारत में संगरोधन के अन्तर्गत जिस प्रकार याद्वियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाती है उसी व्यवस्था के अन्तर्गत एयरकाफ्ट (हवाई जहाज) इन्यादि को प्रमुक्तियान से वचाने के लिए ग्रावश्यक एहतियातें बरतने के पश्चात् उन्हें ग्राई०ए०सी० फ्लाइट नम्बर ग्राई०सी०-185 द्वारा नई दिल्ली ग्राने की ग्रनुमित प्रदान कर दी गई। नई दिल्ली पहुंचने के उपरान्त मंत्री तथा उनके दल को ग्राई० टी० ग्राई० गेस्टहाऊस में 26 ग्रास्त, 1977 तक समुचित सुपरवीजन तथा संगरोध हालातों में रखा गया। यह बिन्कुल सही व्यवस्था थी।

- 2. 26 ग्रगस्त, 1977 को जब उनका संगरोधन हो गया ग्रौर उन्हें रिलीज़ किया जा रहा था, उस समय इस दल को इसके सदस्यों के ग्रनुरोध पर पीत ज्वर का टीका लगा दिया गया।
- 3. चेचक से प्रभावित क्षेतों, जैसे ईथोपिया, रोमालिया और कीन्या से आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर विदेश से भारत में पहुंचने वाले व्यक्तियों के पास हैजा और चेचक संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्न होना आवश्यक नहीं है। अतः उपर्युक्त यातियों को छोड़कर अन्य यातियों की हैजा और चेचक संबंधी प्रमाण-पत्न के लिए जांच नहीं की जाती है।
- 4. जैसा कि प्रकाशित समाचार में ग्रारोप लगाया गया है, यह कहना सहीं नहीं है कि श्री वर्मा ग्रौर ग्रन्य दो ग्रधिकारियों ने एक उद्यमी याता एजेन्ट के माध्यम से हैजा ग्रौर चेचक संबंधी मुहर लगे हुए स्वास्थ्य दस्तावेज प्राप्त किये थे। बाद में श्री वर्मा ने भी एक प्रेस नोट में यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने किसी भी याता एजेन्ट के माध्यम से ग्रपने कागजात प्राप्त नहीं किये थे। यह दल हैजा ग्रौर चेचक के प्रमाण-पत्न ले गया था; क्योंकि भारत में, जो कि ग्रब चेचक मुक्त देश हो गया है, जाने वाले यातियों के लिए भी सुरीनाम में चेचक प्रमाण-पत्नों की ग्रावश्यकता पड़ सकती थी। यह जात

हुआ है कि सुरीनाम इन प्रमाण-पत्नों पर जोर नहीं देता है। हैजा ग्रौर चेचक के टीके के उपयक्त प्रमाण-पत्न इस दल के सभी सदस्यों को जारी किये गये थे। यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि उनमें से सभी व्यक्तियों ने ग्रावश्यक टीके लगवा लिये थे।

- 5. भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी कागजातों की हवाई ब्रडे के स्वास्थ्य कर्मचारी जांच-पड़ताल नहीं करते हैं। यह जांच-पड़ताल केवल भारत में ग्राने वाले यातियों की ही की जाती है। फिर भी यात्रा एजेन्टों तथा एयरलाइन्स के कर्मचारियों के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वे टिकट देते समय यात्रियों को ग्रगली ग्रौर वापिसी यात्रा की स्वास्थ्य संबंधी ग्रपेक्षाग्रों के बारे में उसी प्रकार समझायें जैसा कि वे विदेशी मद्रा विनियमों के बारे में यातियों को समझाते हैं।
- 6. जिन व्यक्तियों को संगरोध के लिए रखा जाता है उनके लिए भोजन के सम्बन्ध में कोई विशेष सावधानी नहीं बरती जाती है। संगरोध के अन्तर्गत रखे लोगों को खाद्य-सरमग्री संगरोध क्षेत्र के बाहर स्थित उनके अपने मिल्रों तथा सम्बन्धियों द्वारा भी भेजी जा सकती है। तथापि यदि यात्रियों द्वारा श्रपने स्राप कोई व्यवस्था न की गई हो तो उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट के शेफेयर द्वारा प्रथम श्रेणी के यातियों के मीन के स्टेंडर्ड के मुताबिक भोजन दिया जाता है। इस प्रकार संगरोधी श्रस्पताल में केवल ठहरने के लिए कोई दाम नहीं लिये जाते हैं। बल्कि जो दाम लिये जाते हैं, वे भोजन ग्रौर ग्रन्य सेवाग्रों के लिए लिये जाते हैं।
- 7. समाचार में पीत ज्वर के बारे में जो संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है वह मंग्टे तौर पर टीक ही है।

† [THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAG-DAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes,

- (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.
 - (c) Yes, Sir.
 - (d) The matter has been looked into.
 - (e) Does not arise.

Statement

Various points have been raised in the News item of the 'Indian Express' dated 26th August, 1977, with New Delhi Date line of August 25th and written by Shri K. R. Wadhwani, The facts are as follows:

- 1. Shri Brij Lal Varma, Union Communications Minister accompanied by two his officials, Sarvashri A. K. Gupta and T. S. Subramanian left India on the 14th August, 1977, for Surinam in South America. They returned to India by Air-India Flt. No. AI-102 from London on the 24th August, 1977. On arrival at Bombay, it was found that they did not possess yellow fever vaccination certificates as required for passengers coming from Surinam. Since they were to proceed to New Delhi soon thereafter, they were allowed to fly to New Delhi by IAC flight No. IC-185, after taking necessary precautions for fumigation of the aircraft, etc. After arrival in New Delhi, the Minister and the party were quarantined until 26th August, 1977 under proper supervision and quarantine conditions, in the Guest House of the Indian Telepone Industries.
- 2. At the time of release from quarantine on 26th August, the members of the party were administered yellow fever vaccination at their request.

^{†[]} English Translation.

3. It is not correct to say that Shri Varma and the other two officials obtained health documents carrying stamps relating to cholera and smallpox shots through an 'enterprising travel agent' as alleged in the news item. Shri Varma has also clarified subsequently in a press note that he did not obtain his papers through any travel agent. The party was in possession of proper cholera and smallpox vaccination certificates. It has been ascertained that all of them had taken the necessary vaccinations.

4. In regard to the persons leaving India, the Airport Health Officials do not conduct any check of health documents. This check is conducted only in respect of passengers arriving in India. However, it is normal for the travel agents or Airlines to inform the passengers, when asked at the time of issuing tickets, about health certificate requirements both for the onward and the return journeys, just as they advise the passengers about foreign exchange regulations, etc.

5. There is no special care taken with regard to service of food to persons under quarantine. Food can also be sent to persons under quarantine from their own friends or relatives outside the quarantine area. Normally, however, in the absence of other arrangements made by the passengers themselves, food is served to air passengers under quarantine in New Delhi from Chefair restaurant at the Delhi airport the standards of menu applicable to first class passengers. No charges are leviable for only the stay in the quarantine hospital as such. charges levied are only for food and other services.

6. The brief particulars mentioned about yellow fever in the news item are broadly correct.

श्री प्रकाश महरोता : मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है उसमें स्पष्ट है कि जो अन्तर्राष्ट्रीय नियम हैं, विदेश जाने के सुरीनाम के लिए येलो फीवर की वैक्सीन लेनी चाहिए थी, उसका उल्लघन हुग्रा है इस केस में । तो नार्मल केस में जब ऐसे यात्री जाते हैं ग्रौर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ़ क्या ऐक्शन सरकार लेती है ग्रौर मंत्री महोदय के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन, सगरोघन नियम में जो यात्री वाहर जाते हैं उन्हें न तो कोई वीमारी के वारे में बताते हैं ग्रीर न ऐसी स्थिति इसमे ग्राई है।

श्री जगदीश जोशी: बीमारी की बात नहीं है।

(Interruptions)

श्री प्रकाश महरोता: मान्यवर, दो प्रश्न उठते हैं। जो उत्तर दिया गया उसमें स्वयं इन्होंने ऐडिमट किया है कि ट्रेवल एजेन्सी ग्रीर एयरलाइंस वाले बताते हैं कि क्या-क्या नियम हैं ग्रीर नियम यह है कि क्या-क्या सिंटिफिकेट होने चाहिए। जवाब इस वक्त ये दे रहे हैं कि इस तरह का कोई नियम नहीं है।

दूसरी वात यह है कि इन्होंने क्वारंटाइन का जो परपज दिया है वह यह दिया है कि बाहर से देश में कोई ऐसा वाइरस न श्राये जिससे ऐसी बीमारी विस्तृत रूप से देश में फैल जाए, जिससे लोग इन बीमारियों से मर जायें । ऐसे कुछ स्पैसि किशंस होंगे कि क्वारटाइन किस-किस जगह पर हो सकता है । माननीय मंत्री जी को टेलीफोन इंडस्ट्री के गैस्ट हाऊस में रखा गया है । क्या वहां पहले से इस तरह की सुविधायें उपलब्ध थीं ? वह वहां लोगों से मिले, पत्नकारों से मिले, इनके घर वाले उनसे मिलने गयें। तो क्या इसके लिए प्रवन्ध किया गया था ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: मंत्री जी को यह पहले से पता नहीं था ग्रौर जब उनको बताया गया, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया।

14

श्री जगदीश जोशी : पता होना चाहिए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: जव उनको वताया गया तो वह क्वारंटाइन के लिए तैयार हुए। जिस विल्डिंग में उनको रखा गया, ठीक तरह से जैसे क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसी तरीके से व्यवस्था को गई, ताकि इस तरह की कोई बीमारी न फैले।

SHRI RISHI KUMAR MISHRA: Mr. Chairman, Sir, the question is one of principle whether a Minister has a right to be treated as different from the normal citizens and whether the laws which are applicable to the normal passengers are not applicable in the case of Jananta Ministers. This is the basic question.

Now, Mr. Brij Lal Varma came to Bombay and under the normal conditions, when it was discovered at Bombay that he had not taken the yellow fever vaccination—it is not a question of disease; the Minister is confusing between disease and vaccination-nobody is saying that he had any disease—he refused and said that he had some urgent work at Delhi and he must be allowed to proceed to Delhi. Why was it that he was not detailed and quarantined at Bombay as a normal passenger would have been done? Why was he allowed to As this report says that the travel? statement given by the Minister has admitted when the facts in regard to the yellow fever are correct that it constitutes a risk and there is 20 per cent of fatality in the case of yellow fever, why was it that he was not quarantined at Bombay? Also, why is it that he was kept in the guest This is the specific question. Are normal passengers kept in a guest house? Why is it that he was not kept in a hospital, or wherever normal passengers are kept? Why has the Minister been given treatment which is different from that given to a normal passenger? This is the question.

श्री राजनारायगः श्रीमन्, पहले इस सवाल को सदन के सम्मानित सदस्य समझ लें कि कोई फेक सींटिफिकेट वर्मा जी के पास नहीं था . . . (Interruptions)

हल्ला मत करिये, सवाल का जवाब दे रहा हूं।

हमारे माननीय मित्र श्री महरोता जी ने यह पूछा था, लेकिन इसका जवाब समय नहीं हुन्रा था, इसलिये यह मैंने कहा भ्रौर उनको जवाव दे रहा हं। दूसरी वात मैं यह बता दूं कि जब वह बम्बई पहुंचे, उस समय उन लोगों को पता चला. जो उनके साथ कर्मचारी थे कि सर्टिफिकेट लेना चाहिए था। उस समय भी मंत्री जी को यह नहीं बताया गया कि ग्रापके पास सर्टिफिकेट नहीं है । मंत्री जी वहां से दिल्ली आ गये । दिल्ली में ऋधिकारियों ने देखा कि सर्टिफिकेट नहीं है । उन्होंने यह समझबुझ कर कि—-श्रगर मेम्बर ठीक से पढ़ें, तो उत्तर में यह सब दिया हुआ है, परन्त् सम्मानित सदस्य पढ्ने की कृपा करते । इसमें लिखा है, जिससे यह पता चलता है कि मंत्री को पहले नई दिल्ली नगरपालिका के डाक्टर ने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र दिया था, परन्तु इसके खो जाने पर दूसरा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र विलिगडन ग्रस्पताल के डाक्टर ने दिया था । इसको यदि ग्राप पढें. तो ग्राप देखेंगे कि श्री वर्मा ने ग्रपने प्रेस वक्तव्य में कहा है कि ग्राई० ए० सी० की उड़ान के इंटरकाम पर उन्हें दिल्ली लाये जाने की जब घोषणा की गई, तब उन्हें संगरोधन की स्रावश्यकता के बारे में पता चला । यह सम्भव है कि श्री वर्मा के स्टाफ ने उन्हें इस बारे में न बताया हो। वास्तव में श्री वर्मा ग्रौर उनके साथियों को उस समय तक जहाज में ही ठहरना पड़ा था, जब तक कि दिल्ली में संगरोधन की व्यवस्था नहीं कर दी गई। जब यह पूरी व्यवस्था कर दी गई कि कोई रोग वहां से हो नहीं सकता, तो वह जहाज से उतरे ग्रीर उन्हें ले जाकर यथा स्थान एक जगह पर रख दिया गया, इस मकसद

से कि वहां रखने से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी।

SHRI RISHI KUMAR MISHRA: In the statement, it is stated: arrival at Bombay, it was found that they did not possess yellow fever vaccination certificates as required for passengers coming from Surinam. Since they were to proceed to New Delhi soon thereafter, they were allowed to fly to New Delhi by IAC flight No.....". This was my question which must be answered. When it was discovered at Bombay that they did not have it, why were they allowed to proceed to New Delhi? Is this the treatment given to the normal passengers?

श्री राजनारायण: श्रीमन्, मैंने बहुत ही ग्रदब के साथ निवेदन कर दिया कि वर्मा जी दिल्ली ग्राये ग्रौर दिल्ली हवाई जहाज पर ही यह ऐलान हुग्रा कि उनके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, तब उनको इस बात की जानकारी हुई । हमारे सम्मानित दोस्त उसको ठीक से पढ़ें। उत्तर में लिखा हुग्रा है कि:

Varmaji himself was told about it. He was not in the know of this fact.

यह हो सकता है कि उनके किसी श्रिधिकारी को किसी ने कह दिया हो और उस श्रिधकारी ने किसी डरवश या किसी कारणवश या श्रपनी अयोग्यतावश मंत्री जी के पास यह बात न पहुंचाई हो ।

MR. CHAIRMAN: Next Question. (Interruptions) why waste time when there are so many questions?

SHRI D. P. SINGH: Sir, one supplementary. The whole nation was threatened with yellow fever. There could have been an epidemic and millions could have died. It is a serious matter. It is a violation of the quarantine rules. It is a normal application of rules. Ignorance of law is no excuse. It is a breach of normal rules. Will there be an exception in the case of a Minister? The Minister had

travelled all the way on the plane from Surinam to Bombay and Bombay to Delhi. He could have infected millions of people....

(Interruption)

MR. CHAIRMAN: I have already called the next Question. You are interested in the plane. Next Question. Mr. Avergoankar.

कृषि माध्यम से रोजगार

* 453. श्री स्रार० डी० जगताप स्रावरगांवकर :† श्री देवराव पाटील : श्री कृष्ण राव नारायण धुलप :

क्या कृषि स्रौर सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कृपि के माध्यम से रोजगार के स्रवसर पैदा करने के लिये कोई योजना तैयार की है; स्रौर
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में व्यौरा क्या है ?

‡[Employment through agriculture

*453. SHRI R. D. JAGTAP

AVERGOANKAR: †

SHRI DEORAO PATIL:

SHRI KRISHNARAO

NARAYAN DHULAP:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

- (a) whether Government have prepared any scheme for creating employment opportunities through agriculture; and
- (b) if so, what are the details in this regard?]

^[] English translation.

[†]The question was actually asked on the floor of the House by Shri R. D. Jagtap Avergoankar.